

अंचल अधिकारी का कार्यालय, चाण्डिल।

अनुसूची फार्म सं०-662

(देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश फलक

जिला- सरायकेला-खरसावाँ

अनुमण्डल- चाण्डिल

अंचल- चाण्डिल

केस का प्रकार- जमाबंदी दर्ज करने के संबंध में।

अभिलेख सं०- 26 / 25-26

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित																		
1	2	3																		
19.07.25	अभिलेख का संधारण राजस्व उप निरीक्षक श्री सुरेश सिंह मुण्डा एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक श्री मनोज कुमार महतो के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि धुरन्धर सिंह के द्वारा परिशोधन पोर्टल में शिकायत सं०- PRI2406020329744032025410173829503, दिनांक- 10.04.2025 के द्वारा मौजा- गौरी, खाता सं०- 64, प्लॉट सं०- 953 अन्तर्गत भूमि कम्प्यूटराईजेशन के दौरान निम्न आवेदित भूमि का छुटे हुए जमाबंदी की ऑनलाईन प्रविष्टि हेतु समर्पित आवेदन के आलोक में जाँच किया गया। जाँचोपरान्त प्रतिवेदित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :- <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र०</th><th>मौजा/थाना सं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा (डी० में)</th><th>पंजी II रैयत का नाम</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>गौरी / 329</td><td>64</td><td>953</td><td>49</td><td>लाल मोहन सिंह, पिता- स्व० भागीरथी सिंह, ना०मु०सं०- 1003 / 64-65 के अनुसार</td></tr> </tbody> </table> उक्त भूमि का जमाबंदी पंजी II में संधारित नहीं पाया गया। कार्यालय में उपलब्ध नामांतरण अभिलेख से मिलान करने पर पाया गया कि मौजा- गौरी, खाता सं०- 64, प्लॉट सं०- 953, रकबा- 49 डी० भूमि ना०मु०सं०- 1003 / 64-65 द्वारा नामांतरित होकर लाल मोहन सिंह, पिता- स्व० भागीरथी सिंह के नाम पर दर्ज है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन, नामांतरण शुद्धि पत्र की प्रति अभिलेख के साथ संलग्न है। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा ऑनलाईन पंजी II में दर्ज करने हेतु अनुशंसा किया गया है। अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त भूमि का ऑनलाईन पंजी II में दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है। अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है। लेखापित (सं० 19.07.25) अंचल अधिकारी चाण्डिल।	क्र०	मौजा/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (डी० में)	पंजी II रैयत का नाम	1	2	3	4	5	6	1	गौरी / 329	64	953	49	लाल मोहन सिंह, पिता- स्व० भागीरथी सिंह, ना०मु०सं०- 1003 / 64-65 के अनुसार	
क्र०	मौजा/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (डी० में)	पंजी II रैयत का नाम															
1	2	3	4	5	6															
1	गौरी / 329	64	953	49	लाल मोहन सिंह, पिता- स्व० भागीरथी सिंह, ना०मु०सं०- 1003 / 64-65 के अनुसार															

अंचल अधिकारी,
चाण्डिल।